

t [MERCER OF MAHI AND YANAM WITH
NEIGHBOURING STATES

*630. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN:
Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Chief Commissioner of Pondicherry, Shri M. K. Kripalani, in an interview with the Press representatives on the 28th August, 1958, stated that Mahi and Yanam should be merged with their neighbouring States; and

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative, whether there is any proposal under Government's consideration to this effect and if so, what is that proposal?]

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी-
मेनन) : (क) और (ख) चीफ कमिश्नर
ने कुछ व्यक्तिगत विचार प्रकट किये थे।
इनमें वे किसी आखिरी नतीजे पर नहीं पहुँचे
थे; साथ ही उन्होंने इनमें कुछ शर्तें भी लगा
दी थीं। इन बातों को उनके निकट के
राज्यों में मिला देने का कोई प्रस्ताव सरकार
के विचाराधीन नहीं है।

t[THE DEPUTY MINISTER OF
EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI LAKSHMI
MENON): (a) and (b). The Chief Commissioner
gave some tentative personal views with a
number of qualifications. There is no proposal
under Government's consideration for their
merger with the neighbouring States.]

राजस्थान में अणु-शक्ति संचालित बिजली
बनाने के कारखाने की स्थापना

*६३१. श्री नवाबसिंह चौहान : क्या
प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार राजस्थान में अणु-
शक्ति संचालित बिजली बनाने के कारखाने की
स्थापना करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हाँ, तो योजना का विवरण
क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम
निर्णय हो जाने की आशा है ?

f[SETTING UP OF AN ATOMIC POWER
STATION IN RAJASTHAN

*631. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN:
Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government propose to set up
an Atomic Power Station in Rajasthan;

(b) if so, what are the details of the
scheme; and

(c) when a final decision is likely to be
taken in this regard?]

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी
मेनन) : (क) राजस्थान में अणु-शक्ति
संचालित बिजली का कारखाना स्थापित
करने के लिए सरकार अभी किसी सुझाव
पर विचार नहीं कर रही।

(ख) और (ग) सवाल पैदा नहीं
होता।

t[THE DEPUTY MINISTER OF
EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI LAKSHMI
MENON) : (a) No proposal is at present under
consideration of Government to set up an
Atomic Power Station in Rajasthan.

(b) and (c). Do not arise.]

RECRUITMENT THROUGH EMPLOYMENT
EXCHANGES

*632. SHRI BIBUDHENDRA MISRA:
Will the Minister of LABOUR AND
EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether the different Ministries of the
Government of India have agreed to make all
recruitments to the services in the lower
cadres through the employment exchanges;

(b) if so, whether any distinction is made
between permanent and temporary vacancies
in this regard; and

(c) whether the vacancies in the lower
cadres are at present being

filled through the employment exchanges or not?

THE DEPUTY MINISTER OF LABOUR (SHRI ABID ALI): (a) Yes, except the recruitment to (i) armed forces, (ii) class III posts in the Posts and Telegraphs Department and to those posts which are filled through the Public Service Commissions or by promotion.

(b) No.

(c) Yes, except those mentioned in (a) above.

t [REVISION OF NORMS IN GOVERNMENT

सरकारी प्रेसों में प्रतिमानों का संशोधन

*६३३. श्री नवाबसिंह चौहान : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री २ सितम्बर, १९५८ को राज्य सभा में अतारंकित प्रश्न संख्या ६० के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाथ से लिफाफे बनाने वालों के लिये १९४० में जो प्रतिमान निश्चित किये गये थे, क्या वे वास्तविक औसत कार्य के आधार पर निश्चित किये गये थे ;

(ख) १९४० से १९५५ तक की अवधि में प्रत्येक कर्मचारी का प्रति घंटा औसत उत्पादन कितना रहा है ;

(ग) १९५५ में प्रतिमानों को किस कारण संशोधित किया गया और उनमें कमी की गई ; और

(घ) लाइनो, मोनो व हाथ से बने लिफाफों के अलावा और शाखाओं के सम्बन्ध में प्रतिमान निश्चित न होने का क्या कारण है ?

PRESSES

*633. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN: Will the Minister of WORKS, HOUSING AND SUPPLY be pleased to refer to the reply given to Unstarred

t [] English translation.

Question No. 60 in the Rajya Sabha on the 2nd September, 1958 and state:

(a) whether the norms fixed for Hand Envelope makers in 1940 were fixed on the basis of actual average performance;

(b) what has been the average out-turn per hour of each worker during the period from 1940 to 1955;

(c) what was the reason for revising the norms and making reduction in them in the year 1955; and

(d) what is the reason that the norms in respect of branches other than the Lino, Mono and Hand Envelope makers have not been fixed.]

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) इस अवधि में प्रत्येक कर्मचारी का प्रति घंटा औसत उत्पादन कितना था, इससे आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) सन् १९४० में हाथ से लिफाफे बनाने वालों के मासिक वेतन के प्रति रुपये के अनुसार उत्पादन की दैनिक मात्रा निश्चित की गई थी, परन्तु १९४६ में हाथ से लिफाफे बनाने वालों के काम करने के घंटे ४८ से घटा कर ४४ कर दिये गये। १९४७ में उनके वेतन बढ़ा दिये गये। इसलिये उत्पादन को मासिक वेतन के प्रति रुपये से सम्बन्धित करना निरर्थक हो गया।

(घ) दूसरी शाखाओं में 'पीस-सिस्टम' (Piece System) पर काम होता था, इस लिये उत्पादन-मात्रा निश्चित करना जरूरी नहीं था। "पीस सिस्टम" (Piece System) बन्द कर दिये जाने के बाद सरकार ने अन्य उत्पादक कर्मचारियों में से बहुतों के लिये उत्पादन-मात्रा निश्चित करने का फैसला किया है, और इन्सेन्टिव बोनस स्कीम (Incentive Bonus Scheme) नाम की एक